

Topic:- Formation of International Court
by Justice
(अंतरराष्ट्रीय न्यायालय)

स्थापना :- 1945

मुख्यालय - हेग, नीदरलैंड

उद्देश्य :-

- अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।
- अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार देशों के बीच कानूनी मामलों पर निर्णय देना।
- संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग।

→ ICJ के संवैधानिक विशेषताएँ :-

- केवल राष्ट्र (देश) ही ICJ में पक्षकार हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं।
- इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं यदि संबंधित देश इसकी अधिकारीता स्वीकार करें।
- यह दो प्रकार के कार्य करता है :-
 - न्यायिक कार्य - विवादों का निपटारा
 - परामर्शी कार्य - संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी राय देना।

→ विषय क्षेत्र :-

1. सीमा विवाद